<u>न्यायालय सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एन0डी0पी0एस0 ऐक्ट, गोण्डा</u>

<u>जमानत प्रार्थना पत्र संख्याः 1665/2021</u>

<u>CNR No. UPGD010032292021</u>

अमरनाथ कुमार पुत्र भोलाप्रसाद कोरी आयु करीब 23 वर्ष, निवासी ग्राम पूरे शिवा बख्तावर धिरजापुरवा, थाना कोतवाली नगर, जिला गोण्डा।

.... आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

सरकार उ0प्र0। .... अभियोजन पक्ष।

मुकदमा अपराध संख्या–579/2021,
धारा–8/22 एन0डी0पी0एस0 ऐक्ट,
<u>थाना–कोतवाली नगर, जिला–गोण्डा।</u>

<u>दिनांक– 27.08.2021</u>

प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र आवेदक/अभियुक्त अमरनाथ कुमार द्वारा मुकदमा अपराध संख्या–579/2021, अन्तर्गत धारा–8/22 मादक द्रव्य तथा मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम 1985, थाना–कोतवाली नगर, जिला–गोण्डा के प्रकरण में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है। आवेदक/अभियुक्त इस मामले में न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है।

प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 30.07.2021 को उ0नि0 धर्मराज मय हमराही देखभाल क्षेत्र व अपराध रोकथाम हेतु ओ0पी0 तिवारी बाजार क्षेत्र में मामूर था कि जरिये सूचना मुखबिर सूचना मिली कि तिवारी बाजार की तरफ से एक व्यक्ति नशीली गोली लेकर झंझरी ब्लाक की तरफ आ रहा है। सूचना पर मुखबिर के साथ झंझरी ब्लाक चौराहा की ओर चल दिये। वहॉ पहॅुचे तो मुखबिर ने उस व्यक्ति की ओर इशारा करके मुखबिर चला गया। पुलिस जन जब झंझरी चौराहे पर पहॅचे तो उन्हें देखकर वह व्यक्ति पीछे मुड़कर तिवारी बाजार की ओर भागने लगा। पुलिस जन द्वारा उस व्यक्ति को दौड़ाकर पकड़ लिया गया। पूछताछ पर उसने अपना नाम अमरनाथ कुमार बताया और बताया कि मेरे पास नशीली गोली है। जामा तलाशी पर उसकी जीन्स की दाहिनी जेब से अल्प्राजोलम की 120 नशीली टेबलेट बरामद हुई। वजन करने पर उक्त नशीली गोलियों का वजन 14.18 ग्राम होना पाया गया। नशीली टेबलेट के बारे में कागज मांगा गया तो नहीं दिखा सका और माफी मांगने लगा। उपरोक्त सूचना के आधार पर थाना कोतवाली नगर में अभियुक्त के विरूद्ध धारा 8/22, मादक द्रव्य तथा मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम 1985 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत की गयी।

आवेदक/अभियुक्त अमरनाथ कुमार के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त बिल्कुल निर्दोष है तथा कथित अपराध से उसका कोई वास्ता सरोकार नहीं है। आवेदक/अभियुक्त को रंजिशन फंसाया गया है। आवेदक/अभियुक्त के पास से तथाकथित रूप से बरामद किया गया अल्प्राजोलम कामर्शिल श्रेणी में नहीं आता है। आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध कभी भी किसी न्यायालय में मुकदमा नहीं चला है और न ही उसका कोई आपराधिक इतिहास है। उपरोक्त कथनों के आधार पर जमानत पर रिहा करने की याचना की गई है।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा कथन किया गया कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतः आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त करने की कृपा करें।

मैनें आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्को को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रथम सूचना रिपोर्ट व केस डायरी का अवलोकन किया। अवलोकित तथ्यों के अनुसार प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त के कब्जे से 120 अल्प्राजोलम की नशीली गोलियॉ बरामद होने का आरोप लगाया गया, जबकि अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आवेदक/अभियुक्त को बिल्कुल निर्दोष होने व फर्जी फंसाये जाने का तर्क प्रस्तुत किया गया है। आवेदक/अभियुक्त के पास से बरामदशुदा अल्प्राजोलम की गोलियों का वजन 14.18 ग्राम होने का कथन किया गया है जो वाणिज्यिक मात्रा की श्रेणी में नही आता है। कथित घटना व बरामदगी का कोई स्वतन्त्र साक्षी भी नहीं है। थाने की आख्या के अनुसार अभियुक्त के विरूद्ध कोई विस्तृत आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही विधि–विज्ञान प्रयोगशाला की कोई रिपोर्ट ही प्रस्तुत की गयी है।

मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत मामले के गुण–दोष पर विचार किये बिना जमानत का आधार पर्याप्त पाया जाता है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त अमरनाथ कुमार द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन सं0 1665/2021, मु0अ0सं0 579/2021, अन्तर्गत धारा 8/22 मादक द्रव्य तथा मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम 1985, थाना कोतवाली नगर, जिला गोण्डा स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा मु0 50,000/–रूपये (पचास हजार रूपये) का व्यक्तिगत बन्ध पत्र तथा समान धनराशि के दो विश्वसनीय प्रतिभू दाखिल करने पर उसे जमानत पर रिहा किया जाये।

Sd/-

दिनांक–27.08.2021

(डॉ0 दीनानाथ तृतीय)
सप्तम् अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश एन0डी0पी0एस0 ऐक्ट,
गोण्डा।